उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
( उ0प्र0 सरकार का उपक्रम )
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
( U.P. Govt. Undertaking )
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

UPRVUNL

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या –171 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः 161–11 / 2014 दिनांकः 31 / 10 / 2014

## कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 21 अक्टूबर 2014 को संपन्न 161वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970" तथा "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली–1970" के प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(अ) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970" (यथासंशोधित आदेश संख्याः 37 / उनिलि / रिफार्म / विनियम / 2013, दिनांक 31–05–2013) के निम्नलिखित तालिका के स्तभ–1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तभ–2 में अंकित प्राविधानो से प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

| वर्तमान प्राविधान | प्रतिस्थापित प्राविधान |
|---|---|
| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
| विनियम–5 (भर्ती का स्रोत) | विनियम–5 (भर्ती का स्रोत) |
| (1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती / प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती / प्रोन्नति की जायेगी :– | (1) यथावत्। |
| (क) प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु ............ 50.33 प्रतिशत। | (क) यथावत्। |
| (ख) स्थायी एवं अर्ह अवर अभियन्ताओं से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु.................40 प्रतिशत। | (ख) यथावत्। |
| (ग) स्थायी एवं अर्ह संगणकों (विद्युत एवं यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु.................1.33 प्रतिशत। | (ग) यथावत्। |

Manpal

| | |
|---|---|
| (घ) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थायी हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं0:88/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/अभियन्तासेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार बी0ई0/ ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर नियमित सेवा के **03 वर्ष** पूरे कर लिये हों..........8.33 प्रतिशत।<br><br>प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बॉटी जायेंगी, जो उपरोक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।<br>परन्तु यदि उपरोक्त (ग) एवं (घ) के विरूद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ख) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे :-<br><br>परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यतया सम्पूर्ण एक के रूप में गिना जायेगा। | (घ) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थायी हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं0:88/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/अभियन्तासेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार बी0ई0/ ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर नियमित सेवा के **08 वर्ष** पूरे कर लिये हों...........8.33 प्रतिशत।<br><br>यथावत्। |

(ब) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली-1970" (यथासंशोधित आदेश संख्याः 37/उनिलि/ रिफार्म/विनियम/2013, दिनांक 31-05-2013) के निम्नलिखित तालिका के स्तभ-1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तभ-2 में अंकित प्राविधानो से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

| **वर्तमान प्राविधान** | **प्रतिस्थापित प्राविधान** |
|---|---|
| **स्तम्भ-1** | **स्तम्भ-2** |
| विनियम-5 (भर्ती का स्रोत)<br>(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस | विनियम-5 (भर्ती का स्रोत)<br>(1) यथावत्। |

Omprai

| | |
|---|---|
| वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :– | |
| (i) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ............50.33 प्रतिशत। | (i) यथावत्। |
| (ii) परिशिष्ट "ख" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ..............................40 प्रतिशत। | (ii) यथावत्। |
| (iii) परिशिष्ट "ख" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ..............................1.33 प्रतिशत। | (iii) यथावत्। |
| (iv) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु, जो पद पर स्थाई हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं0: 89/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/सहायक अभियन्ता (सिविल) दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर उन्होंने नियमित सेवा के **03 वर्ष** पूरे कर लिये हों......8.33 प्रतिशत। | (iv) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु, जो पद पर स्थाई हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं0: 89/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/सहायक अभियन्ता (सिविल) दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर उन्होंने नियमित सेवा के **08 वर्ष** पूरे कर लिये हों......8.33 प्रतिशत। |
| प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (iv) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।<br><br>परन्तु यदि उपरोक्त (iii) एवं (iv) के विरुद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ii) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे:–<br><br>परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यता सम्पूर्ण एक के रुप में गिना जायेगा। | यथावत्। |

(स) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970" (यथासंशोधित आदेश संख्या: 37/उनिलि/रिफार्म/विनियम/2013, दिनांक 31–05–2013) के विनियम–5 के अन्तर्गत परिशिष्ट 'ग' के निम्नलिखित तालिका के स्तभ–1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तभ–2 में अंकित प्राविधानो से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

| वर्तमान प्राविधान | संशोधित प्राविधान |
|---|---|
| **स्तम्भ–1** | **स्तम्भ–2** |
| विनियम–5 के उप–विनियम–1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा :–<br><br>(I) अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगमादेश सं0: 88/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। | विनियम–5 के उप–विनियम–1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा :–<br><br>**(I) विनियम–5 के उप–विनियम–1 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु व्यवस्था निम्नवत् होगी :–**<br><br>**(अ)दिनांक 31–05–2013 के पूर्व नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में :–**<br>**अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगम द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सन्तोषजनक रीति से पूर्ण कर प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।**<br><br>**(ब) दिनांक 31–05–2013 को तथा उसके पश्चात् नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में:–**<br>**अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगमादेश सं0: 88/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।** |
| (II) ऐसे संगणक जो पद पर स्थायी हों तथा जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 10 वर्ष संगणक/प्रारूपकार के रूप में पूरे कर लिये हों तथा निम्न में से कोई अर्हता प्राप्त | (II) यथावत्। |

| | |
|---|---|
| हो :–<br>(अ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विधेयक द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में डिप्लोमा<br>या<br>(ब) राज्य की तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में 03 वर्षो का डिप्लोमा। | |

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से**

पत्रांकः 171/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 161–11/2014 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), मा0सं0/पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
4.. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ (निदेशक मण्डल की 21 अक्टूबर 2014 को संपन्न हुयी 161वीं बैठक के एजेण्डा आईटम –11 के संदर्भ में )
8. अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 1/2/3/4/5/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,

31/10/14

(सुनील कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)